

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुक्म

9-7-21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित,  
अप्रार्थी स: 1, 2, 4 के सम्मन बाद तामिल होकर  
प्राप्त हुए जिसे शाठ घण किये गये। वकील प्रार्थीगण  
अप्रार्थी स: 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते  
हैं। तहसीलदार माण्डल परिवार हल्का भाइ एय  
सौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शाठ घण किया  
गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्ते वा आवाये  
दिलायी जाने उपरान्त भी अनुपस्थित। वकील  
प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। बहस  
सुनी गयी। वारन्ते पत्रावली अधिस हेतु  
दिनांक 16-7-21 को पेश हो।

जतिवदी सं. 3 के  
विरुद्ध कार्यवाही  
नहीं चाहता  
हूँ

स्वीकार योग्य  
जतिवदी सं. 3 के  
विरुद्ध कार्यवाही  
नहीं चाहता  
हूँ

न्याय  
सीन 3  
नमा सं  
श्री  
श्री

16-7-21

उभय पक्ष का कार्य पीठारी अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर ह / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 20-7-21 को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-7-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगित / अडिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक 27-7-21 को पेश हो।

27-7-21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित,  
वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार  
किया जाकर निर्णय हुक्म से लिखा जाकर  
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेरसल  
सुमार होकर अन्तर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सकसेना, आर.ए.एस.  
मुकदमा संख्या - 10/21 प्रा.पत्र

- 1- श्री शिवकुमार vs श्री परसराम दाहाल-निवासी-भाडु तहसील माण्डल
- 2. श्रीमती प्रेमलता vs श्री परसराम दाहाल

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री सुवालाल vs श्री कर्हेयालाल दाट-निवासी-उमोदपुरा तहसील-माण्डल [कौरा]  
(विपक्षीय प्रा.पत्र बसलम)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 27-07-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाडु पटवार हल्का भाडु तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3096/1753 कुल किता 01 रकबा 0.6323 बीघा हैक्टोर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-01-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भाडु पटवार हल्का भाडु तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3096/1753 कुल किता 01 रकबा 0.6323 हैक्टोर स्थित भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक सुहारिया को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

**उपखण्ड अधिकारी**  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

**उपखण्ड अधिकारी**  
माण्डल जिला भीलवाडा